न्यायालय तहसीलदार सरदारशहर

पीठासीन अधिकारी श्री पवन कुमार मीणा RTS सरदारशहर

प्र०सं. 06/2022 अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 सरकार **बनाम** भंवरी देवी पत्नि रमेश कुमार जाति जाट निवासी सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

:–निर्णय:–

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का भींवसर ने रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि **भंवरी देवी पत्नि रमेश कुमार जाति जाट निवासी सरदारशहर तहसील सरदारशहर जिला चूरू** द्वारा रोही मौजा भींवसर के खसरा नं0 165 तादादी 2.02 हैक्टे. गैर मुमकिन रास्ता में से 0.097 हैक्टे. भूमि पर नाजायज रूप से जौ, सरसों व तारामीरा की खेती कर अतिक्रमण किया गया है। जिसकी पुष्टि संबंधित हल्के के भू.अ.नि. द्वारा भी की जा चुकी है।

हमने पटवारी व भू.अ.नि. की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज किया। अप्रार्थी को धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया। नोटिस की अप्रार्थी को विधिवत तामील हो चुकी है। तामील के प्रत्युतर में अप्रार्थी की ओर से निर्धारित तारीख पेशी पर अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिह राजपुरोहित नें उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा जवाब हेतु समय चाहा गया। हमने अप्रार्थी को जवाब हेतु समय दिया जाकर आगामी तारीख पेशी 04.03.2022 मुकर्रर की। लेकिन निर्धारित तारीख पेशी पर अप्रार्थी अधिवक्ता की ओर से कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पुन जबाव प्रस्तुत करने हेतू समय चाहा गया। हमने न्याय हित में पुनः समय दिया जाकर आगामी तारीख पेशी 16.03.2022 मुकर्रर की। लेकिन अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा इस बार भी तारीख पेशी पर कोई जवाब पेश नही किया गया तथा मौखिक रूप से एक और अवसर चाहा। न्याय हित में जबाव प्रस्तुत करने के हेतू अन्तिम अवसर दिया जाकर तारीख पेशी 28.03.2022 निर्धारित की गयी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pawan Kumar Meena
Date: 2022.04.28 13:00:57 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व)
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निर्धारित तारीख पर जवाब प्रस्तुत किया तथा साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत करने हेतू समय चाहा हमने पत्रावली प्रार्थी एवं अप्रार्थी साक्ष्य आगामी तारीख पेशी 05.04.2022 मुकर्रर की। आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया तथा मौखिक रूप से एक और अवसर हेतू निवेदन किया। लेकिन प्रार्थी की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये जो शामिल पत्रावली है। एवं अप्रार्थी अधिवक्ता के निवेदन पर मनन करते हुए साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतू अतिरिक्त समय दिया जाकर पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 18.04.2022 मुकर्रर की। लेकिन इस बार भी अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कोई साक्ष्य सबूत प्रस्तुत नही किया गया।

चूंकि अप्रार्थी द्वारा गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिचार किया गया है वर्तमान में कपास आदि की फसल काश्त करने का समय आ गया है अतः राजकीय भूमि पर पुनः अतिचार किया जा सकता है जिसके परिणामस्वरूप पत्रावली को और अधिक लंबित नहीं रखा जाकर न्यायौचित निर्णय पारित किया जाना आवश्यक है।

अतः हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया। हल्का पटवारी रिपोर्ट, पत्रावली में उपलब्ध सारभूत तथ्यों व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जबाव का सूक्ष्मता से अवलोकन किया। हल्का पटवारी ने अतिचार की जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है वो सार्थक व सत्य प्रतीत होती है प्रार्थी की तरफ से गवाहो के दस्तावेजी साक्ष्य हल्का पटवारी रिपोर्ट को प्रमाणित करते है तथा अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 28.03.2022 निरर्थक तथा सारहीन है क्योंकि अप्रार्थी अधिवक्ता ने अंकित किया है कि कटाणी रास्ता भू.रा.अ. की धारा 91 के तहत नहीं आता और कटाणी रास्ते से संबंधित विवाद को सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को न होकर सिविल न्यायालय को है लेकिन भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज प्रकरणों का सुनवाई का अधिकार सिर्फ राजस्व न्यायालय को है।

अत समस्त तथ्यों का सूक्ष्मता से अवलोकन करने पर हल्का पटवारी रिपोर्ट सत्य है तथा अप्रार्थी अधिवक्ता का जवाब निरर्थक व मिथ्य है फलतः अप्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाता है तथा रोही ग्राम भींवसर के खं.नं. 165 किस्म गैर मुमकिन रास्ता से अप्रार्थी

तहसीलदार (राजस्व)

Signature Not Verified
Digitally Signed by Pawan Kumar Meena
Date: 2022.04.28 13:00:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

को बेदखल करने का निर्णय पारित किया जाता है। भू.अ.नि. वृत जसंगसर को आदेशित किया जाता है कि मौके पर खडी फसल को ट्रेक्टर आदि चलाकर नष्ट कर अतिक्रमी को मौके से बेदखल करें। पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करे।

पत्रावली निर्णय में शुमार की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। निर्णय आज दिनांक 18.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय-तहसीलदार सरदारशहर (राज.)

(पवन कुमार मीणा)
तहसीलदार
तहसीलदार (राजस्व)
सरदारशहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pavan Kumar Meena
Date: 2022.04.28 13:00:57 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner